तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रीतम सिंह बनाम हनुमान** **80/13 (आरसीएमएस नं. 2013/00020)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.18	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 23.10.12 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने से अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील पर अग्रिम कार्यवाही संभव नही होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (राजेश्वर सिंह) संभागीय आयुक्त, जयपुर	